7/3/22 — प.फा. उपस्थित। उभयपक्षकारगण के
अधिवक्तागण को सीपीसी के प्रा.पत्र
हेतु सुनवाई पर न्यायालय के
बहस सुनी गई पत्रावली का
अवलोकन किया गया। प्रार्थी
का मूल प्रा. पत्र पत्रावली
का है जो एक सामान्य प्रोसीजर
का है जिसका निस्तारण राज्य
सरकार के दिशानिर्देश निर्धारित
सीमा से किया जाना है जिससे
प्रकृति के न्याय के सिद्धांत
को ध्यान में रखते हुये न्यायहित
में स्वीकार किया जाना न्यायोचित
प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र
न्यायहित में स्वीकार किया
जाकर प्रार्थी का मूल प्रा. पत्र
पत्रावली के अनुसार तारीख
किया जाकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.09 14:44:16 IST
Reason: SelfAttested

अरुण कुमार